

Babu Ram, Chairman, Panchayat Samiti Pinjore v. The State of 45  
Haryana and others (A. L. Bahri, J.)

लगातार बढ़ रहा है। अब तक, यह सर्वविदित है कि लगभग हर साल प्रवेश के लिए मानदंड को किसी न किसी तरह से संशोधित किया जाता है। नतीजतन, बड़ी मात्रा में मुकदमेबाजी होती है। जहां छात्रों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, वहीं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश में देरी होती है। यह किसी के हित को बढ़ावा नहीं देता है। इसके विपरीत, शिक्षा का कारण प्रभावित होता है। इस स्थिति में, यह सभी संबंधित लोगों के हित में प्रतीत होता है कि एक उचित कानून लागू किया जाए ताकि मामले का निपटारा किया जा सके और निरंतर अनिश्चितता से बचा जा सके। यह उन आलोचनाओं को भी दूर करेगा जो अक्सर मानदंड में बदलाव के खिलाफ की जाती हैं। यह सभी संबंधित लोगों के मन में विश्वास पैदा करेगा।

जे एस टी।

माननीय ए. एल. बहरी और एच. एस. बरार, जे. के सामने

बाबू राम, अध्यक्ष, पंचायत समिति

पिंजौर, -याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता।

1994 की सिविलरिट याचिका 3227।

21 अप्रैल, 1994।

भारत का संविधान, 1950- अधिनियम 1226/227—पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961- धारा 19 (1)- सभापति का त्यागपत्र और उसके बाद उसका त्यागपत्र समिति द्वारा एक प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद ही प्रभावी होगा- हालाँकि, प्रस्ताव से पहले त्यागपत्र वापस ले लिया गया- इस प्रकार त्यागपत्र वापस लेने के बाद समिति द्वारा इस पर विचार करने के लिए कोई एजेंडा नहीं हो सका- त्यागपत्र स्वीकार करने का प्रस्ताव कायम नहीं रखा जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि सभापति द्वारा त्यागपत्र को वापस लेने के लिए अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, तथापि, त्यागपत्र समिति द्वारा इसे स्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद ही प्रभावी होना था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता प्रस्ताव पारित होने की तारीख तक अध्यक्ष बने रहे अर्थात् 21 फरवरी, 1994 तक। प्रस्ताव स्वयं इंगित करता है कि इस्तीफा पहले ही वापस ले लिया गया था। इस प्रकार त्यागपत्र वापस लेने के बाद समिति द्वारा त्यागपत्र पर विचार करने के लिए कोई एजेंडा नहीं हो सका। याचिकाकर्ता के इस्तीफे को स्वीकार करने वाले उपरोक्त प्रस्ताव को कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है।

(पैरा 6)

<sup>1</sup> पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961-5. 18 (1) दूसरा परंतुक-समिति द्वारा निर्धारित तरीके से बुलाई गई बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाना है।

*अभिनिर्धारित* किया गया कि खंड 18 (1) के दूसरे परंतुक को यदि बारीकी से पढ़ा जाए, तो यह पता चलेगा कि 'अविश्वास प्रस्ताव' पर विचार करने के लिए प्रस्तुत की गई ऐसी मांग पर समिति द्वारा निर्धारित तरीके से बुलाई गई बैठक में निर्णय लिया जाना है।

(पैरा 7)

*पंजाब पंचायत समिति नियम, 1963-पदाधिकारियों को हटाना-नियमों का पालन करना आवश्यक है, प्रकृति में अनिवार्य है न कि निर्देशिका।*

*अभिनिर्धारित* किया गया कि प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रक्रिया के नियमों का सख्ती से पालन नहीं करने से कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं होता है क्योंकि 25 सदस्यों में से 23 ने पूर्ण बैठक में भाग लिया और 20 ने 'अविश्वास प्रस्ताव' के पक्ष में मतदान किया। यहाँ इस तर्क में भ्रंति है। समिति के सदस्यों और पदधारियों यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ऐसे सदस्यों या पदाधिकारियों को हटाने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। वे अनिवार्य हैं और प्रकृति में निर्देशिका नहीं हैं।

(पैरा 8)

*भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-याचिकाकर्ताने अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद एक और नाम प्रस्तावित किया-उन्हें समिति के अध्यक्ष पद से हटाए जाने को चुनौती देने से नहीं रोकेगा, खासकर जब इस्तीफा पहले ही वापस ले लिया गया हो।*

*अभिनिर्धारित* किया गया कि इस प्रकार याचिकाकर्ता ने अपने निष्कासन को स्वीकार कर लिया और अब वह इसे चुनौती देने से वंचित है। इस तर्क को फिर से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वह कुछ नहीं कर सके जब समिति के सदस्यों ने वापस लेने के पत्र के बावजूद या उनके इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए मामले को विचार के लिए लिया या उन्हें हटाने का मामला उठाया तो वे समिति के सदस्य बने रहे। खेल के दौरान किसी अन्य व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करने के उनके कार्य से उन्हें समिति के अध्यक्ष पद से हटाने या उनके इस्तीफे की अवैध स्वीकृति को चुनौती देने से नहीं रोका जा सकेगा, जिसे पहले ही वापस ले लिया गया था।

(पैरा 10)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राम कुमार।

अरुण नेहरा, एडिशनल।ए. जी. (हरियाणा)

प्रतिवादी संख्या 5 के लिए के. एस. सिद्धू, अधिवक्ता

निर्णय

ए. एल. बहरी, जे.

(1) बाबू बाम, अध्यक्ष, पंचायत समिति, पिंजौर ने उस तारीख को आयोजित बैठक में पंचायत समिति द्वारा पारित 21 फरवरी, 1994 के प्रस्ताव संलग्नक पी-4 को चुनौती दी, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा समिति की अध्यक्षता से दिए गए इस्तीफे पर विचार किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि उसे वापस ले लिया गया था और अंततः समिति ने पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाता है) की खंड 19 (1) के प्रावधानों को देखते हुए इस्तीफा स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ता को नियमों के अनुसार अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया था। इस प्रस्ताव के माध्यम से श्री कंवरजीत सिंह को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा 9 फरवरी, 1994 को खंड विकास और पंचायत अधिकारी को त्याग पत्र सौंपा गया था। 21 फरवरी, 1994 को उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेते हुए एक और पत्र सौंपा। उन्होंने इस आशय का एक तार निदेशक, पंचायत, उपायुक्त, अंबाला, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, कालका और खंड विकास और पंचायत अधिकारी, पिंजौर को भी भेजा। यह पत्र उस समय पंचायत समिति के समक्ष भी रखा गया था जब प्रस्ताव-अनुलग्नक पी. 4 पारित किया गया था। याचिकाकर्ता ने उपायुक्त को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए 6 मार्च, 1994 के संलग्नक पी. 5 के पत्र के माध्यम से भेजा। संलग्नक पी. 3 20 फरवरी, 1994 का पत्र है, जिसकी प्रतियां विभिन्न प्रतिवादी को भेजी गई थीं। इसी तरह का पत्र संलग्नक पी. 2 है। पंचायत समिति, पिंजौर के सदस्यों को परिचालित बैठक का एजेंडा संलग्नक पी. 1 में निहित है। पहला मुद्दा पंचायत समिति के अध्यक्ष के इस्तीफे को स्वीकार करने से संबंधित था और दूसरा मुद्दा "अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य" था।"

(2) प्रस्ताव की सूचना जारी होने पर, प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दायर किए गए हैं। प्रतिवादी नंबर 5 कंवरजीत सिंह ने एक अलग लिखित बयान दायर किया। ऐसा प्रतीत होता है कि आधिकारिक प्रतिवादी ने एक वैकल्पिक दलील दायर की है। उनके अनुसार समिति द्वारा पारित प्रस्ताव वास्तव में पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पर याचिकाकर्ता को अध्यक्षता से हटाने से संबंधित था। संलग्नक आर. एल. समिति के विभिन्न सदस्यों द्वारा उपायुक्त को अध्यक्ष बाबू राम के खिलाफ 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित करने के लिए बैठक बुलाने के लिए लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि ति है। संलग्नक आर. 2 आवेदन संलग्नक आर. एल. के समर्थन में कंवरजीत सिंह के शपथ पत्र की प्रतिलिपि है। डिप्टी आयुक्त ने 17 फरवरी 1994 को आदेश अनुलग्नक आर.3 को पंचायत समिति की बैठक बुलाने और अधिनियम की धारा 18(1) के अनुसार आगे बढ़ने या आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया। अनुलग्नक आर.4 दिनांक 21 फरवरी 1994 के संकल्प की प्रतिलिपि है। संख्या 5 कंवरजीत सिंह ने प्रारंभिक आपत्तियों को उठाया, अन्य बातों के साथ-साथ, दावा किया कि याचिकाकर्ता ने भौतिक तथ्यों को छुपाया था कि सरनीति के 23 सदस्यों ने अध्यक्ष के खिलाफ 'अविश्वास प्रस्ताव' व्यक्त करने के लिए आवेदन दिया था। उपायुक्त ने 13 फरवरी, 1994 को कालका के अनुमंडल अधिकारी (सी) को अधिनियम की खंड 18 (1) के तहत बैठक बुलाने का निर्देश देते हुए आदेश दिया था। इस प्रकार, 21 फरवरी, 1994 को बैठक बुलाई गई, जिसमें इस्तीफे के साथ-साथ 'अविश्वास प्रस्ताव' पर विचार किया गया। 20 25 में से सदस्यों ने याचिकाकर्ता को हटाने के लिए हाथ

उठाए। पारित प्रस्ताव का अधिक विवरण दिया गया है। यह आगे आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता को अध्यक्ष के रूप में अपने चुनाव को चुनौती देने के लिए अपने स्वयं के कार्य और आचरण से वंचित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ एक अन्य उम्मीदवार ज्ञानी सुखदेव सिंह के नामांकन में भाग लिया था। गुण-दोष के आधार पर इसी तरह की दलीलें ली गई हैं।

(3) अधिनियम की धारा 18 (1) और 19 (1) निम्नानुसार है:—

“18. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल।—(1) पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और "प्राथमिक सदस्यों का पहला आम चुनाव और पंचायत समिति के सदस्यों का सह-चुनाव खंड 113-ए के तहत होने के बाद ऐसी पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा:

बशर्ते कि एक निवर्तमान अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि सरकार अन्यथा निर्देश नहीं देती है, जब तक कि उनके उत्तराधिकारी के चुनाव को अधिसूचित नहीं किया जाता है:

बशर्ते कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होना समाप्त हो जाएगा यदि वह पंचायत समिति का सदस्य नहीं रहता है या यदि पंचायत समिति अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा निर्धारित तरीके से बुलाई गई बैठक में निर्णय लेती है कि वह अपना पद खाली कर देगा। ऐसे मामले में पंचायत समिति उसी बैठक में एक एन. ई. डब्ल्यू. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी जिसमें उपरोक्त प्रस्ताव पारित किया जाता है:

बशर्ते कि ऐसी कोई भी बैठक उस तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले नहीं बुलाई जाएगी जिस दिन, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव अधिसूचित किया गया था और ऐसी अवधि समाप्त होने के बाद, जब भी ऐसी बैठक उनके कार्यकाल के दौरान बुलाई जाती है और पद खाली करने का प्रस्ताव विफल हो जाता है, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ इसी तरह के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए उसके बाद किसी भी समय आगे कोई बैठक नहीं बुलाई जाएगी, जब तक कि पिछली विफलता और उस तारीख के बीच कम से कम एक वर्ष की अवधि न हो जिस पर ऐसी आगे की बैठक बुलाई गई हो।

XXXXXXXXXXXX

19. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र।—(1) पंचायत समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पंचायत समिति को लिखित रूप में सूचित करके अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और ऐसा इस्तीफा पंचायत समिति द्वारा स्वीकार किए जाने पर वह अपना पद खाली कर चुका समझा जाएगा।”

(4) उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए। विचार के लिए पहला प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता का त्याग पत्र, जिसे 21 फरवरी 1994 को समिति के सदस्यों की बैठक से पहले वापस ले लिया गया था, स्वीकार किया जा सकता है ताकि याचिकाकर्ता अध्यक्ष पद से हट सके। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने विरिंदर पॉल शर्मा बनाम भारतीय खाद्य निगम और अन्य (1) मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया है। इस मामले में विरिंदर पॉल शर्मा, जो भारतीय खाद्य निगम में सहायक के रूप में काम कर रहे थे, ने "तत्काल प्रभाव से" अपना इस्तीफा (तार) सौंप दिया था।" इस संबंध में एक पत्र भी लिखा गया था जिसमें उन्हें उचित तरीके से अपना इस्तीफा देने और तीन महीने का वेतन जमा करने की सलाह दी गई थी। जुलाई 1985 में, उन्होंने इस्तीफे को वापस लिए जाने के रूप में मानने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। उन्हें सूचना दी गई।—8 जनवरी, 1986 के पत्र में कहा गया है कि उनका इस्तीफा 18 दिसंबर से स्वीकार कर लिया गया है। 1988 में उच्च न्यायालय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस्तीफे को वापस लेने के बाद इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस्तीफे की इस तरह की स्वीकृति कानून में टिकाऊ नहीं थी। यह देखा गया कि इस्तीफे की स्वीकृति से पहले, वही था

(1) 1992 (2) एसएलआर 104.

वापस ले लिया। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा जिस अन्य निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह है पंजाब नेशनल बैंक बनाम श्री पी. के. मित्तल जो कि सर्वोच्च न्यायालय कि है, जिसने जून, 1986 से प्रभावी होने के लिए अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया। बैंक ने इस्तीफे की तारीख से इसे स्वीकार कर लिया और यह माना गया कि यह एक कर्मचारी को जबरन बर्खास्त करने के बराबर है। निर्णय के पैरा 7 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस्तीफा वापस लिए जाने के बाद से श्री मित्तल बैंक की सेवा में बने रहे। यह निम्नानुसार देखा गया:—

“यह सच है कि नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो कर्मचारी को इस्तीफा वापस लेने की अनुमति देता है। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा कोई विशिष्ट नियम होना चाहिए। जब तक विनियमन 20 के साथ पढ़े गए पत्र की शर्तों पर विनियमन प्रभावी नहीं हो जाता है, तब तक कर्मचारी के लिए, सामान्य सिद्धांतों

पर, अपने इस्तीफे के पत्र को वापस लेने के लिए खुला है। यही कारण है कि, सार्वजनिक सेवाओं के कुछ मामलों में, निकासी का यह अधिकार भी नियोक्ता की अनुमति के अधीन किया जाता है। यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह राज कुमार बनाम भारत संघ, 1968 (3) एस. सी. आर. 337, भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा, 1973 (3) एस. सी. आर. 12 और बलरामगुप्ता बनाम भारत संघ, 1987 (2) एस. एल. जे. 280 (सी. ए. टी.) में इस न्यायालय के पहले के फैसलों द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है।

(5) इस न्यायालय ने रमेश के. श्रीवास्तव बनाम गुरु नानक विश्वविद्यालय, अमृतसर और अन्य (2) मामले में इस्तीफे को वापस लेने के सवाल पर भी विचार किया। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:—

“वर्तमान मामले में त्यागपत्र केवल सिंडिकेट द्वारा स्वीकार किया जा सकता है और इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि त्यागपत्र की स्वीकृति से पहले, इसे सफलतापूर्वक वापस लिया जा सकता है। सिंडिकेट द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले ही याचिकाकर्ता ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। नतीजतन, यह माना जाएगा कि वह इस पूरे समय के लिए सेवा में है।”

(6) यद्यपि सभापति द्वारा त्यागपत्र वापस लेने के लिए अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, तथापि, त्यागपत्र तभी प्रभावी होना था जब समिति द्वारा इसे स्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता प्रस्ताव पारित होने की तारीख यानी 21 फरवरी, 1994 तक अध्यक्ष बना रहा। संलग्नक पी. 4 प्रस्ताव स्वयं इंगित करता है कि त्यागपत्र दिया गया था

(2) आई. एल. एफ. 1994 (1) पंजाब और हरियाणा 48.

इसे पहले वापस ले लिया गया था। इस प्रकार त्यागपत्र वापस लेने के बाद समिति द्वारा त्यागपत्र पर विचार करने के लिए कोई एजेंडा नहीं हो सका। याचिकाकर्ता के इस्तीफे को स्वीकार करने वाले उपरोक्त प्रस्ताव को कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है।

(7) प्रतिवादी द्वारा रखे गए वैकल्पिक तर्क को ध्यान में रखते हुए कि समिति के 25 सदस्यों में से 23 ने अध्यक्ष और उपायुक्त के खिलाफ अविश्वास दिखाने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया था और इसे उप-मंडल अधिकारी को भेज दिया था और अंततः मामला 21 फरवरी, 1994 को समिति के संज्ञान में लाए जाने के बाद, यह उसी पर विचार कर सकता था और प्रस्ताव पारित होने के बाद, याचिकाकर्ता को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, खंड 18 (1) प्रावधान द्वितीय के तहत, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है। इसमें कोई शक नहीं प्रस्ताव-अनुलग्नक पी. 4 यह भी इंगित करता है कि याचिकाकर्ता को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, विचार के लिए सवाल यह है कि क्या ऐसा निष्कासन, यदि ऐसा किया जाता है, तो कानून के अनुसार है या नहीं। खंड 18 (1) के दूसरे परंतुक को यदि बारीकी से पढ़ा जाए, तो यह पता चलेगा कि 'अविश्वास प्रस्ताव' पर विचार करने के लिए प्रस्तुत की गई ऐसी मांग पर समिति द्वारा निर्धारित तरीके से बुलाई गई बैठक में निर्णय लिया जाना है। 21 फरवरी, 1994 को हुई बैठक अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए नहीं बुलाई गई थी। पहले से ही ऊपर उल्लिखित कार्यसूची के दो आइटम इंगित करते हैं कि उस बैठक में समिति द्वारा विचार किया जाने वाला एकमात्र मामला त्याग पत्र था। बैठक 16 फरवरी, 1994 को बुलाई गई थी। जबकि खंड 18 (1) के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त का पत्र 17 फरवरी, 1994 का है, जो उप-मंडल मजिस्ट्रेट के कार्यालय में और बाद में 21 फरवरी, 1994 को समिति के समक्ष प्राप्त हुआ था। यह इंगित करता है कि "अविश्वास प्रस्ताव" पर विचार करने के लिए विशेष रूप से कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। पंजाब पंचायत समितियाँ (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा पद की समाप्ति) नियम, 1963 विचार के लिए प्रासंगिक हैं। नियम 3 समिति के कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ 'अविश्वास प्रस्ताव' लाने के इरादे की सूचना निर्धारित करता है। ऐसी सूचना (क) उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव रखे जाने पर अध्यक्ष को, (ख) अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव रखे जाने पर उपाध्यक्ष को, (च) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव रखे जाने पर पंचायत समिति के निष्पादन अधिकारी को, संबोधित की जानी है। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस तरह का इस्तीफा उपायुक्त को सौंपा गया था, जिन्होंने इसे उप-मंडल को भेज दिया था। अधिनियम की खंड 18 (1) के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट। अंततः उक्त त्यागपत्र पंचायत समिति के पास आ गया।

नियमों के नियम 4 में नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर एक बैठक बुलाने का प्रावधान है। नियम 5 में यह प्रावधान है कि यदि संबंधित प्राधिकारी ऐसी बैठक बुलाने में विफल रहता है तो ऐसी बैठक कैसे बुलाई जा सकती है। नियम 6 में प्रावधान है कि ऐसी बैठक की निर्धारित तिथि से पहले कम से कम 7 दिन का नोटिस देते हुए बुलाई जानी चाहिए और ऐसी सूचना फॉर्म II में होनी चाहिए और नियम 6 के तहत दिए गए तरीके से समिति के सदस्यों को दी जानी चाहिए।

(8) इस विवाद ने प्रतिवादी के लिए यह सलाह दी कि प्रक्रिया के नियमों का सख्ती से पालन नहीं करने से कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं होता है क्योंकि 25 सदस्यों में से 23 ने बैठक में भाग लिया और 20 ने 'अविश्वास प्रस्ताव' के पक्ष में मतदान किया। इस तर्क में भ्रंति है। समिति के सदस्यों और पदाधारियों यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ऐसे सदस्यों या पदाधिकारियों को हटाने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है। वे अनिवार्य हैं और प्रकृति में निर्देशिका नहीं हैं। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इस तरह के 'अविश्वास प्रस्ताव' पर विचार करने के लिए कम से कम 7 दिनों का समय दिया जाता है। ऐसा समय प्रदान करने का उद्देश्य प्रचार करना है क्योंकि 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित करने का प्रश्न इसके पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना है। यदि समिति द्वारा अचानक इस तरह के मामले को उठाया जाता है, तो प्रचार करने या मतदाताओं को संतुष्ट करने का यह अधिकार विफल हो जाता है। हालाँकि प्रस्ताव-परिशिष्ट पी. 4 में यह विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि इसे अधिनियम की खंड 18 (1) के तहत पारित किया गया था। हालाँकि, यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता को हटा दिया गया था। यह प्रतिवादी की ओर से तर्क दिया गया था। यह उस पदार्थ का सार है जिस पर विचार किया जाना चाहिए, न कि केवल उसका रूप। कानून के गलत प्रावधान का उल्लेख करने या उसका उल्लेख न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिद्धांत रूप में ऐसा हो सकता है। हालाँकि, कानूनी पहलू पर विचार करते हुए और वर्तमान मामले के तथ्यों पर अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को लागू करते हुए, प्रस्ताव संलग्नक पी. 4 को याचिकाकर्ता के खिलाफ 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित करने के लिए लेते हुए, इसे कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है।

(9) प्रतिवादियों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रतिवादी नंबर 5 बाबा कंवरजीत सिंह के चुनाव के खिलाफ चुनाव याचिका का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है और रिट याचिका में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस तर्क को फिर से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त सदस्य संख्या 5 के चुनाव को चुनौती देने के लिए एक चुनाव याचिका में, याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं मिल सकी या तो उनका इस्तीफा समिति द्वारा गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया या उन्हें गलत तरीके से अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। इन मामलों पर केवल रिट याचिका में ही विचार किया जा सकता था।



ऊपर के रूप में यह मानने के बाद कि याचिकाकर्ता का इस्तीफा गलत तरीके से स्वीकार कर लिया गया था और अध्यक्ष पद से उनका निष्कासन भी गलत था, प्रतिवादी संख्या 5 का समिति के अध्यक्ष के रूप में चुनाव कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है। इस तरह की राहत परिणाम देने वाली होगी।

(10) प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद, उन्होंने कार्यवाही में भाग लिया और प्रतिवादी संख्या 5 के खिलाफ उन्होंने ज्ञानी सुखदेव सिंह का नाम प्रस्तावित किया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने उसे हटाने को स्वीकार कर लिया और अब उसे चुनौती देने से रोक दिया गया है। इस तर्क को फिर से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वे कुछ नहीं कर सका जब समिति के सदस्यों ने वापस लेने के पत्र के बावजूद या उनके इस्तीफे को स्वीकार करने या उन्हें हटाने का मामला उठाने के लिए इस मामले को विचार के लिए लिया। वे समिति के सदस्य बने रहे। खेल के दौरान किसी अन्य व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करने के उनके कार्य से उन्हें समिति के अध्यक्ष पद से हटाने या उनके इस्तीफे की अवैध स्वीकृति को चुनौती देने से नहीं रोका जा सकेगा, जिसे पहले ही वापस ले लिया गया था। *राजबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य सहकारी विकास संघ लिमिटेड (1)* मामले में इस बात पर विचार किया गया था। सेवानिवृत्ति की सूचना दी गई थी। नोटिस की अवधि 19 जून, 1990 से 9 अगस्त, 1990 तक थी। इस प्रकार उनका इस्तीफा 9 अगस्त, 1990 से प्रभावी हो सकता था और इस तरह का इस्तीफा उस तारीख से पहले स्वीकार नहीं किया जा सकता था। *आरोप* है कि उन्होंने उस अवधि के लिए वेतन स्वीकार किया था। उन्हें क कार्य से हटाया गया- आदेश संलग्नक आर. एल. के माध्यम से जिसमें उन्होंने एक विरोध संलग्नक आर. 2 प्रस्तुत किया जो उपरोक्त तिथि से पहले था। यह देखा गया:—

“भले ही यह तर्क के लिए स्वीकार किया जाए कि याचिकाकर्ता ने 15 जून को उसे मुक्त किए जाने के खिलाफ कोई विरोध दर्ज नहीं कराया था। 1990, यह 9 अगस्त, 1990 से पहले की तारीख है, जिस तारीख से उनका इस्तीफा उनके द्वारा अपने इस्तीफे को प्रभावी बनाने के लिए निर्धारित तिथि से पहले पद से मुक्त किए जाने के लिए उनकी सहमति से दिया जाना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही उन्हें 16 जून, 1990 से 9 अगस्त, 1990 तक राज्य सरकार को देय बकाया राशि के समायोजन के माध्यम से वेतन का भुगतान किया गया हो।”

(11) प्रतिवादी के वकील का यह तर्क कि याचिकाकर्ता को नए अध्यक्ष के नामांकन में उसकी भागीदारी के आधार पर प्रस्ताव-अनुलग्नक पी.4 को चुनौती देने से रोका जाए, खारिज कर दिया गया है।

(1) 1990 का सी. डब्ल्यू. पी. 13868 24 अप्रैल, 1992 को तय किया गया।

राज किशोर शर्मा और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2) मामले में इस न्यायालय का निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है। उस मामले में उम्मीदवार ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और असफल होने के बाद, एक अध्यक्ष की अध्यक्षता में चयन को चुनौती नहीं दे सका, जिसके खिलाफ पक्षपात का सुझाव दिया गया था। निर्णय अपने तथ्यों पर है। इसी आधार पर मानक लाई बनाम डॉ. प्रेम चंद सिंघवी और अन्य (3) मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होता है, जिसमें बार काउंसिल ट्रिब्यूनल के खिलाफ पक्षपात का सुझाव दिया गया था।

ऊपर दर्ज कारणों से, इस रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है। फरवरी, 1994 के प्रस्ताव संलग्नक पी. 4 में याचिकाकर्ता के इस्तीफे को स्वीकार करने या उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने और प्रतिवादी नंबर 5 बाबा कंवरजीत सिंह को समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुनने को रद्द कर दिया गया है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

जे एस टी

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मयंक गुप्ता

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चरखी दादरी

इससे पहले: माननीय आर. पी. सेठी और जी. एस. सिंघवी, जे. जे.

श्री ए. और चट्टा, सरकार के पंजाब के प्रमुख सचिव, - याचिकाकर्ता।

बनाम

मलूक सिंह और अन्य, - उत्तरदाता।

1994 का पत्र पेटेंट अपील सं. 148

20 मई, 1994

पत्र पेटेंट अपील, 1919-खंड X- न्यायालय अवमानना अधिनियम। 1971-एसएस। 19

और 19 (1)-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 215-अवमानना याचिका में पारित एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश के खिलाफ पत्र पेटेंट अपील बनाए रखने योग्य नहीं है जब यह अवमानना के लिए दंडित करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित नहीं किया जाता है-ऐसा आदेश एक 'निर्णय' नहीं है जब यह न तो विवाद का अंत में निर्णय करता है और न ही अवमानना याचिका में शामिल किसी भी मुद्दे को अपील को रखरखाव के अभाव में खारिज करने के लिए उत्तरदायी है-यदि, खंड X में निर्दिष्ट परीक्षण संतुष्ट होते हैं, तो

(2) 1993 (4) एस. एल. आर. 12

(3) ए. आई. आर. 1937 एस. सी., 425.